कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

हवामहल के पास, बडीचौपड़, जयपुर, राजस्थान–302002

कार्यालय :– एफ–6 ( )राजस्व प्रथम शाखा/हैरिटेज/2024/ 448 दिनांकः 27/11/2024

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest- EOI) का आमंत्रण की सूचना

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा रामनिवास बाग स्थित अण्डरग्राउण्ड पार्किंग स्थल का संचालन करवाने के लिए **(EOI)** के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हैं। पार्किंग स्थल का सम्पूर्ण विवरण **(EOI)** में उपलब्ध हैं, इच्छुक आवेदक नगर निगम जयपुर हैरिटेज की राजस्व (प्रथम) शाखा के कमरा नं0 272 में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति **(EOI)** संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तें आदि **www.jaipurmcheritage.org** पर देखी जा सकती हैं।

27/11/24

(निधि सिंह)
R.A.S
उपायुक्त राजस्व (प्रथम)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।
2. एनालिस्ट–कम–प्रोगामर उक्त सूचना को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट **www.jaipurmcheritage.org** पर अपलोड करावें।
3. सुरक्षित पत्रावली।

उपायुक्त राजस्व (प्रथम)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

हवामहल के पास, बडीचौपड़, जयपुर, राजस्थान–302002

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय :– एफ–6 ( )राजस्व प्रथम शाखा/हैरिटेज/2024/ 448 दिनांकः 27/11/2024

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest- EOI) का आमंत्रण

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा रामनिवास बाग स्थित अण्डरग्राउण्ड पार्किंग स्थल का संचालन करवाने के लिए **(EOI)** के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं :–

EOI Participation Fees (non-refundable)	500/- रूपयें (+GST) अतिरिक्त
Publishing Date & Time	28-11-2024
Request for Proposal Submission Start Date & Time	28-11-2024 (02:00PM)
Request for Proposal Submission End Date & Time	04-12-2024 (04:00PM)
Parking Capacity	2500Approx. (**Phase-I & II**)
Website for downloading Request for proposal	**www.jaipurmcheritage.org**

शर्तो :–

1. आवेदनकर्ता को आवेदन शुल्क, अमानता राशि एवं **Submission End Date & Time** से पूर्व जमा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
2. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र **परिशिष्ठ "अ"** अनुसार आवेदन करेगा, तथा आवेदन शुल्क का भुगतान नगर निगम जयपुर हैरिटेज के हेल्पलाईन कैश काउण्टर पर जमा करवाकर जमा की रसीद की प्रति संलग्न करेगा।
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं नियम लागू होंगे।
4. संस्था/फॅर्म/कम्पनी को पेन कार्ड एवं पंजीयन की प्रमाणित फोटो प्रति **(EOI)** के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
5. पार्किंग स्थल का संचालन का कार्य उक्त पार्किंग स्थल के संचालन का कार्य दिये जाने पर संवेदक द्वारा यथास्थिति (उपकरण/संसाधन को चालू स्थिति) में विभाग को सुपूर्द करेगा। आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व पार्किंग स्थल पर मौजूद होकर भलीभांति निरीक्षण कर लें।
6. सशर्त **(EOI)** मान्य नहीं होगी एवं बिना किसी कारण बताए कोई भी **(EOI)** अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पास रहेगा।
7. **(EOI)** खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में **(EOI)** खोली जावेगी।
8. फर्म द्वारा ईपीएफ ओर ईएसआई विभाग में नियमानुसार रजि0 की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
9. पार्किंग स्थल का विवरण **परिशिष्ठ "ब"** पर संलग्न हैं।
10. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज बन्द लिफाफे में नगर निगम जयपुर हैरिटेज की राजस्व (प्रथम) शाखा के कमरा नं0 272 में **(EOI)** समाप्ति की दिनांक व समय से पूर्व अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
11. समस्त कार्यवाही **RTPP** एक्ट के प्रावधानों के अधीन होगी।
12. **(EOI)** का उद्येश्य केवल उक्त पार्किंग स्थल के ई–ऑक्शन के संबंध में फर्मों/संवेदकों की अभिरूचि जानने हेतु जारी की जा रही हैं, तथा उक्त पार्किंग स्थल का ई–ऑक्शन अलग से जारी किया जावेगा।
13. उक्त प्रकिया में प्राप्त जानकारी पर सम्पूर्ण अधिकार नगर निगम जयपुर हैरिटेज का होगा, तथा उक्त प्राप्त जानकारी के उपयोग के लिये स्वतंत्र रहेगा।
14. **(EOI)** के माध्यम से नगर निगम जयपुर हैरिटेज को प्रस्तुत की गयी कोई भी जानकारी आवेदनकर्ता द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रदान की जावेगीं।
15. **(EOI)** से संबंधित विवरण एवं शर्तें **www.jaipurmcheritage.org** पर देखी जा सकती हैं।

27/11/24

(निधि सिंह)
R.A.S
उपायुक्त राजस्व (प्रथम)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. श्रीमान् अति0 आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।
4. एनालिस्ट–कम–प्रोगामर उक्त सूचना को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट **www.jaipurmcheritage.org** पर अपलोड करावें।
5. सुरक्षित पत्रावली।

<u>परिशिष्ठ (अ)</u>

पार्किंग स्थल का विवरण :–

क्र.स	पार्किंग स्थल	क्षमता
1.	रामनिवास बाग स्थित अण्डरग्राउण्ड पार्किंग	2500 **Approx.**

आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती हैं, कि उक्त पार्किंग स्थल के संचालन का कार्य दिये जाने पर संवेदक द्वारा यथास्थिति (उपकरण/संसाधन को चालू स्थिति) में विभाग को सुपूर्द करेगा। अतः आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व उक्त पार्किंग स्थल पर मौजूद होकर भलीभांति निरीक्षण कर लें।

आवदेनकर्ता की योग्यता मापदण्ड :–

1. आवेदनकर्ता की फर्म **GST** रजिस्टर्ड होना अनिवार्य हैं।
2. आवेदनकर्ता की फर्म नगर निगम जयपुर द्वारा ब्लैकलिस्टेड नही हो तथा फॅर्म पर कोई बकाया नहीं हो।
3. आवेदनकर्ता की फर्म दिवालिया ना हो, तथा उसके मामले किसी न्यायालय में प्रकियाधीन/विचाराधीन ना हों, उसकी व्यावसायिक गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही ना हो।
4. आवेदनकर्ता पर व्यावसायिक आचरण से संबंधित किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया हों।

उक्त समस्त योग्यताओं के संबंध में आवेदनकर्ता द्वारा 100/–रूपयें के स्टाम्प पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

परिशिष्ठ (ब)

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest- EOI) हेतु आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता का नाम : ....

आवेदनकर्ता का पता :..

पार्किंग स्थल का नाम :..

मोबाईल नं0 :..

ई–मेल आई डी : ....

पेन कार्ड नं0 (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें). ....

जी.एसटी नं0 (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें). ....

संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व आधार कार्ड तथा संस्था द्वारा अधिकृत करने का

पत्र ....

घोषणा :–

यह घोषणा की जाती हैं, कि समस्त शर्तें भलीभांति पढ़ व समझ ली हैं, तथा स्वीकार हैं। स्वीकृति स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर कर दिये गए हैं।

अधिकृत हस्ताक्षर मय नाम

उक्त पार्किंग स्थल के संबंध में निर्देश :–

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा 01 वर्ष की अवधि के लिए रामनिवास बाग स्थित अण्डरग्राउण्ड पार्किंग स्थल (**Phase-I & II**) ई–निलामी द्वारा ठेके पर दिया जावेगा। इस ई–निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1. ई निलामी में ऐसे इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ही भाग ले सकेगें, जिस पर निगम की पूर्व में किसी भी टेंडर व अन्य कारण से निगम की बकाया राशि नही हों। तथा जो निर्धारित ठेके की प्रारम्भिक बोली राशि का 10 प्रतिशत अमानता राशि के रूप में ऑन–लाईन जमा करवाना सुनिश्चित करेंगें।
2. फर्म/कम्पनी के मामलो में डायरेक्टर/प्रोपराइटर/साझेदार के नाम, पता, मोबाईल नम्बर की स्पष्ट सूचना संलग्न करनी होगी।
3. ई–निलामी के अंतिम 05 मिनिट में कोई बोली आने पर ई–निलामी समय अवधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 15 मिनिट की वृद्धि हो जायेगी।
4. बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म को धरोहर राशि के साथ बोलीदाता को मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स, एवं पैनकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
5. उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि ठेका अवधि तक निगम कोष में धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/3 ठेका राशि जमा करा देने पर लौटा दी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की धरोहर राशि बोली समाप्ति के पश्चात लौटा दी जावेगी।
6. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/3 राशि नीलामी समाप्ति के तुरंत बाद 24 घण्टे में डीडी अथवा ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा जमा करानी होगी। चैक द्वारा राशि स्वीकार्य नहीं होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/3 राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा धरोहर राशि जप्त समझी जावेगी। इसके पश्चात उच्चतम बोलीदाता के द्वारा दी गई बोली राशि का काउंटर ऑफर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को दिया जावेगा। काउंटर ऑफर द्वितीय बोलीदाता द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में उनके द्वारा 1/3 राशि 24 घण्टे में जमा करानी होगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/3 राशि जमा नहीं कराने पर ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।
7. पार्किंग का ठेका एक वर्ष की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष पश्चात संवेदक का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं संवेदक की आपसी सहमति से इस ठेके को प्रथम वर्ष की बोली राशि पर 10 प्रतिशत बढाकर अग्रिम द्वितीय वर्ष के लिए (अर्थात अतिरिक्त एक वर्ष के लिए) बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु संवेदक को प्रथम वर्ष समाप्ति से 3 माह पूर्व आवेदन करना होना।
8. ठेकेदार को बोली राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी:– 1/3 ठेका राशि नीलामी के 24 घण्टे के भीतर तथा शेष 2/3 राशि कार्यादेश जारी होने की तिथि के तृतीय माह के अंतिम दिवस एवं छठे माह के अंतिम दिवस तक दो समान त्रैमासिक किश्तों में ऑनलाईन या डी.डी. के द्वारा जमा करानी होगी। चैक द्वारा राशि स्वीकार्य नही होगी। शेष 2/3 राशि की 15 प्रतिशत बैंक गारण्टी व नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प (ठेकेदार के खर्च पर) पेपर पर ठेके की शर्तोनुसार दो जमानती के हस्ताक्षर करवाकर अनुबंध पत्र निगम कार्यालय में 7 कार्य दिवस में प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात ही अस्थाई कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। 7 कार्य दिवस में बैंक गारण्टी व अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जमा 1/3 राशि जप्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
9. 1/3 राशि, बैंकगारण्टी व अनुबंध पत्र निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने पर संवेदक को जमा राशि के अनुपात में कार्य दिवस की गणना करते हुए उसी अवधि का अस्थायी लाईसेन्स जारी किया जायेगा। एवं शेष 2/3 राशि की दो समान त्रैमासिक किश्तों की राशि नगर निगम जयपुर हैरिटेज के कोष में क्रेडिट होने पर स्थायी लाईसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। निर्धारित समयावधि पर संवेदक राशि जमा नहीं कराने पर 15 प्रतिशत ब्याज देय होगा। अस्थाई लाईसेन्स की समयावधि समाप्ति से 15 दिवस पूर्व तक भी राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर सम्पूर्ण जमा राशि, बैंक गारण्टी, धरोहर राशि नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा जप्त कर ली जावेगी एवं पार्किंग स्थल को पुनः ठेके पर देने की कार्यवाही करते हुए ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

10. पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहन धारकों से निम्नानुसार निर्धारित शुल्क वसूल किया जावेगा:–

समय	दुपहिया वाहन (अधिकतम शुल्क रू.)	चौपहिया वाहन (अधिकतम शुल्क रू.)
तीन घण्टे तक (00–03 घण्टे तक)	10	20
छह घण्टे तक (00–06 घण्टे चक)	15	30
बारह घण्टे तक (00–12 घण्टे चक)	20	50
चौबीस घण्टे तक (00–24 घण्टे तक)	30	80
मासिक पास प्रातः 08:00 से रात्रि 10:00 बजेतक	300	800
मासिक पास 24 घंटे	500	1500

उक्त पार्किंग स्थल की कुल गाड़ियों की संख्या का अधिकतम 50प्रतिशत तक ही मासिक पास जारी किये जावेगें।

11. यदि सेवा प्राप्तकर्ता (ठेकेदार) GST के तहत पंजीकत है, तो GST का भुगतान रिवर्स चार्ज मेकेनिजम के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है ! यदि सेवा प्राप्तकर्ता GST के तहत पंजीकत नहीं है, तो GST को सेवा प्रदाता (नगर निगम जयपुर हेरिटेज) द्वारा फॉरवर्ड चार्ज मेकेनाइज्ड के तहत एकत्र ओर भुगतान किया जाना है, नगर निगम फर्म/कंपनी को उनकी GST स्थिति के अनुसार चालान जारी करेगा।

12. फॅर्म/कम्पनी द्वारा नियम एवं शर्तों का बार–बार उल्लघंन करने की स्थिति में उक्त ठेके को निरस्तीकरण के साथ–साथ फॅर्म/कम्पनी को ब्लैकलिस्ट किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी फॅर्म/कम्पनी की होगी।

13. समय–समय पर राज्य सरकार/यातायात पुलिस विभाग जारी निर्देशों की पालना करने हेतु संवेदक बाध्य होगा।

14. लाईसेन्स धारी संवेदक वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही (फुटपाथ की भूमि को छोडकर) खड़ा कर सकेगा। निर्धारित स्थल के बाहर वाहन खड़ा करने पर प्रति वाहन 1,000/– रु की दर से शास्ति संवेदक पर लगाई जायेगी।

15. पार्किंग स्थल पर जो भी निर्धारित बाहन खड़ा करने का ठेका लिया है, उसके अलावा अन्य प्रकार का वाहन खड़ा करना पाया गया तो 1,000/– रू प्रति दिन प्रति वाहन की दर से शास्ति ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

16. ठेकेदार को इलेक्ट्रोनिक मशीन (Hand Terminal) के द्वारा टोकन निकाल कर देना होगा। इस मशीन मे दर, वाहन नम्बर, वाहन खडा करने का समय, वाहन जाने का समय आदि दर्ज करना होगा। मशीन की जांच कभी भी नगर निगम जयपुर हैरिटेज के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा सकेगी। प्रत्येक वाहन के दो टोकन होंगे, एक टोकन वाहन स्वामी को दिया जावेगा। तथा दूसरा टोकन संवेदक/कर्मचारी के पास रहेगा। टोकन पर टोकन संख्या क्रमानुसार होनी चाहिए तथा वाहन संख्या एवं पार्किंग का समय अंकित करना होगा। जिससे वाहन बदलने की संभावना नही रहे। इलेक्ट्रोनिक मशीन (Hand Terminal) से टोकन नहीं देने पर प्रत्येक बार 10,000/– रूपये की शास्ति अधिरोपित की जावेगी। या नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। अथवा दोनों कार्यवाही भी की जा सकती है।

17. पार्किंग स्टेण्ड पर वाहन की पूरी जिम्मेदारी संवेदक की होगी। स्टेण्ड पर रखा वाहन खो जाने अथवा किसी प्रकार की हानि होने पर वाहन धारक को क्षति पूर्ति करने का दायित्व संवेदक का होगा। वाहन स्वामी द्वारा टोकन खो देने पर वाहन स्वामित्व के दस्तावेज आदि के सबूत संवेदक को प्रस्तुत करने होगे। संवेदक द्वारा पूर्ण जाँच के बाद ही वाहन लौटाया जावेगा। इसमें नगर निगम जयपुर हैरिटेज का कोई दायित्व नही होगा, इसके लिए सम्पूर्ण दायित्व संवेदक का होगा।

18. पार्किंग स्थल के सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों पर पार्किंग स्थल का नाम, संवेदक का नाम/पता, मोबाईल नं./विभाग के नोडल अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर एवं पार्किंग की दरे व समय साफ व स्पष्ट रूप से दर्शायी जानी आवश्यक होगी। यदि संवेदक द्वारा बोर्ड नहीं लगाये जाते हैं, तो नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा बोर्ड लगवाए जायेगें। जितने दिन तक संवेदक द्वारा बोर्ड नहीं लगाया गया हैं. उतने दिन तक का 1,000/–रूपयें प्रतिदिन का अर्थ दण्ड संवेदक पर लगाया जावेगा। तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

19. संवेदक द्वारा पार्किंग में सभी लाईटें, लिफ्टें, पार्किंग मार्किंग, कैमरें, बूम बैरीयर, डिस्पिले बोर्ड, सेंसर इत्यादि उपकरणों तथा उपलब्ध सामान का उचित संधारण करते हुये पार्किंग में उचित साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चि करेगा।
20. संवेदक द्वारा समय पर प्रतिमाह बिजली एवं पानी का बिल का भुगतान अपने स्तर पर समयानुसार सुनिश्चित करेगा।
21. संवेदक द्वारा पार्किंग के संचालन हेतु सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों पर पर्याप्त कर्मचारी/गार्ड वाहनों को निर्देश देने हेतु लगाये जायेगें।
22. संवेदक द्वारा पार्किंग के सभी प्रवेश व निकास द्वारों को प्रातः 06:00 से रात्रि 10:00 बजें तक खुला रखना सुनिश्चित करेगा।
23. संवेदक की कार्य अवधि पूर्ण होने पर सभी उपकरणों और संसाधनों को चालू हालात में विभाग को सुपुर्द करेगा।
24. संवेदक को आवश्यकतानुसार विभाग की स्वीकृति से पब्लिक बाई साईकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट हेतु स्थान उपलब्ध कराना होगा।
25. संवेदक या उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई राशि वसूल नहीं की जावेगी। संवेदक या उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित दरों से अधिक वसूली की प्रथम सत्य शिकायत पाये जाने पर 15 हजार रूपये का अर्थ दण्ड लगाया जावेगा। द्वितीय सत्य शिकायत पाये जाने पर 10 दिवस का नोटिस जारी करते हुए 25,000/–रूपये जुर्माना या नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। अथवा दोनों कार्यवाही भी की जा सकती है।
26. संवेदक के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि ही ठेका स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूल कर सकेंगे। कार्मिकों की पूर्ण सूचना ठेका स्वीकृति के 10 दिवस में संवेदक द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज को उपलब्ध करवाई जावेगी। तथा संवेदक द्वारा कर्मचारियों का 2 राजकीय अधिकारियों से प्रमाणित चरित्र प्रमाणपत्र नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय में ठेका स्वीकृति के 10 दिन में प्रस्तुत करने होगे। पार्किंग स्थल पर निर्धारित ड्रेस कोड, तथा ठेकेदार द्वारा जारी पहचान पत्र धारण करेगें। उक्त सभी का खर्चा संवेदक को वहन करना होगा। एवं निर्धारित ड्रेस कोड, व पहचान पत्र धारण नहीं करने पर 500/–रूपयें प्रतिदिन जुर्माना लगाया जावेगा।
27. संवेदक पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करवा सकेगा। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे संवेदक के खर्चे से तुरन्त हटाया जावेगा एवं संवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
28. ठेका अवधि में नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा कभी भी राज्या देश या जनहित में पार्किंग स्थल खाली करवाया जा सकता है। इसमें ठेकेदार का किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा संवेदक को ठेके की शेष रही अवधि की अनुपातिक राशि लौटाई जावेगी, अथवा दोनों पक्ष की आपसी सहमति से अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
29. यदि नगर निगम जयपुर हैरिटेज को संवेदक के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है. या दायित्व उत्पन्न होता है तो संवेदक इसके लिये पूर्णतयाः उत्तरदायी होगा। पार्किंग के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संवेदक का ही होगा। ठेका संचालन/संचालन प्रक्रिया/पार्किंग समय/वाहन चोरी/क्षतिया अन्य कोई विधिक दायित्व उत्पन्न होता है, तो सभी शारित/जुर्माना/हर्जाना/खर्चा संवेदक को देना होगा। अर्थात ऐसे प्रकरणों में संवेदक का ही उत्तरदयित्व होगा।
30. पार्किंग स्थल पर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के अलावा अन्य किसी व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है। पार्किंग स्थल जो है, जैसी स्थिति में है, पार्किंग के लिए उपलब्ध है। जिसमें नगर निगम जयपुर हैरिटेज चाहे तो आवश्यक सुधार/संशोधन/निर्माण/सौन्दर्यकरण कर सकेगा।
31. संवेदक व नगर निगम जयपुर हैरिटेज के मध्य के बिन्दुओं के समाधान/निस्तारण हेतु प्रकरण नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा गठित उपापन समिति के समक्ष रखें जा सकेंगे।
32. ठेका शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर हैरिटेज को होगा।
33. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर यथा जीएसटी, आयकर, व तत्समय लागू अन्य राज्य व केन्द्रीय कर नियमानुसार निविदा राशि के अतिरिक्त संबंधित विभाग में संवेदक द्वारा जमा कराने होगे। यह कर राशि बोली राशि के अतिरिक्त होगी तथा इससे संबंधित विभाग मे जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। राशि जमा कराने के पश्वात जमा की रसीद संवेदक द्वारा अविलम्ब नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। इसके पश्चात् ही स्थाई लाईसेन्स की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।
34. यदि नगर निगम जयपुर हैरिटेज का कोई कार्मिक अपना वाहन नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा आवंटित पार्किंग स्थल पर खड़ा करता है, और यह अपना नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा जारी पहचान पत्र मौके पर उपलब्ध/दिखाता है, तो उसे पार्किंग स्थल पर निःशुल्क वाहन खड़ा करने की सुविधा प्रदान की जावेगी।
35. संवेदक का जीएसटी/आयकर रजिस्ट्रेशन होने पर ही निविदा में भाग ले सकेगा।

36. फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण होने का प्रमाणपत्र/दस्तावेज स्थाई लाईसेन्स जारी होने से पहले प्रस्तुत करना होगा।

37. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर निगम जयपुर हैरिटेज का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

38. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

39. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम जयपुर हैरिटेज को होगा।